

:: नीलामी रिड ::

शासकीय अनुपयोगी घोषित वाहन की नीलामी दिनांक 5/11/2016

(खुली निविदा क्रमांक 1, दिनांक 5/11/2016)

नीलाम होने वाले वाहन	ऑफसेट मूल्य	अमानत राशि	मॉडल वर्ष	नीलामी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद
एम्बेसडर कार क्रमांक MP02-6598	13,000/-	1,300/-	2002-03	जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)
	₹ Thirteen Thousand Only.	₹ One Thousand Three Hundred Only.		
मारुति वेन क्रमांक MP02-2020	20,000/-	2,000/-	1994	जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन (म.प्र.)
	₹ Twenty Thousand Only.	₹ Two Thousand Only.		

:: नीलामी की शर्तें ::

1. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति से दिनांक 4/11/2016 तक राशि कमशः रु. 1300/- रु 2000/- की एफ.डी.आर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन के नाम से नज्दरत अनुविभाग रायसेन में जमा करनी होगी, उन्हे ही खुली निविदा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति दी जावेगी।
2. नीलाम किए जाने वाले वाहन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय के प्रांगण में रखे हुए है जिन्हे नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति कार्यालयीन समय में जिला नाजिर की उपस्थिति में वाहनों का अवलोकन कर सकता है।
3. नीलामी में अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही वाहन दिया जायेगा।
4. वाहन के काटने लोडिंग/अनलोडिंग/ट्रॉसपोर्ट आदि खुली निविदाकर्ता के खर्च पर किया जावेगा। मशीनों की काटा पीटी कर्मशाला में नहीं की जावेगी। वाहन निर्धारित समयावधि में अपने व्यय से उठाना होगा।
5. उक्त वाहन की नीलामी प्रक्रिया को स्वीकृति एवं अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को होगा। नीलामी निरस्त करने के संबंध में आवेदक को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जायेगी।
6. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत स्वीकृत बोलीकर्ता के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय बोलीकर्ता को छोड़कर, शेष सभी बोलीकर्ता को एफ.डी.आर. वापिस कर दी जावेगी।
7. अधिकतम बोली की निविदा स्वीकृत किए जाने पर संबंधित को राशि दो दिवस में नगद रूप में जिला नाजिर के पास जमा करानी होगी, यदि उक्त राशि समयावधि में जमा नहीं कराई जाती तो जमानत राशि जब्त की जावेगी और उससे नीचे वाले व्यक्ति की निविदा स्वीकृत करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायसेन को होगा।

res
(विमल प्रकाश शुक्ला)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायसेन (म.प्र.)